(17)

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक
नेशनल एकेडमी गजराजगंज
मु० कपसेठा [illegible] जौनपुर

पत्रांक:मान्यता/ 7342-45 /2014—15 दिनांक 01.09.2014

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग—6 आदेश संख्या 419/76—6—2013—18(20)/91 दिनांक 08मई, 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 30.08.2014 के अनुकम में तारीख.......... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं नेशनल एकेडमी गजराजगंज मु० कपसेठा [illegible] जौनपुर को 01.09.2014 से 31.09.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2)के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2)उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के विद्यालय एक पृथक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपाबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   (1)प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
   (III)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष अवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्युनतम् अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यहां और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताए नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   (VII)अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और
   (VIII)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया—कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:—
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
   कुल निर्मित क्षेत्र।
   कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।
   कक्षाओं की संख्या।
   प्राध्यापक—सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।
   बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय ।
   पेयजल सुविधा।
   मीड—डे—मील पकाने के लिए रसोई।
   बाधा रहित पहुँच।
   अध्यापन पठन सामाग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाए और ना ही अन्य शाखाएं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रायोजनो के लिए किया जायेगा।

2.